संख्या-5/2025/94-1-2025/002-234 2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ0प्र0 प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04 जिला व्यय के मानक मद सं०-03-महंगाई भत्ता में से 03-मुख्यालय / 04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-473/नौ-104(बजट)/2024-25 दिनांक 10-02-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 03-मँहगाई भत्ता में उपलब्ध धनराशि रू0 3584.70 लाख में से 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या 05-स्थानान्तरण व्यय, 49-चिकित्सा व्यय, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं तथा 04-जिला व्यय के मानक मद संख्या 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 49-चिकित्सा व्यय, 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 645.00 लाख का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 04 जिला व्यय के मानक मद सं०-03-महंगाई भत्ता में उपलब्ध धनराशि में से 03-मुख्यालय / 04-जिला व्यय के विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रू0 516,10,000 (रूपये पाँच करोड़ सोलह लाख दस हजार मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।
(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।
(4) उक्त मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्यय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-बजट-1-595 दिनांक 18-03-2025 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2030030010300 (मुख्यालय-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010300 मुख्यालय-	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
2	091	2030030010300 मुख्यालय-	49 चिकित्सा व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
3	091	2030030010300 मुख्यालय-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,45,00,000 (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2030030010400 (जिला व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	091	2030030010400 जिला व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	091	2030030010400 जिला व्यय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	091	2030030010400 जिला व्यय	49 चिकित्सा व्यय	47,00,000 (रुपये सैंतालीस लाख मात्र)
4	091	2030030010400 जिला व्यय	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
5	091	2030030010400 जिला व्यय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**3,71,10,000** **(रुपये तीन करोड़ इकहत्तर लाख दस हजार मात्र)**

महायोग	5,16,10,000 (रुपये पाँच करोड़ सोलह लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/2025/94-1-2025/002-234(1) 2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।